

भाग-iii
(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका
संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि
हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,
निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन
संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें

प्रभागीय निदेशक सा.वा.वन
प्रभाग हरदोई की संछति के
आधार पर संछति की जावी
है।

दिनांक-25-11-2022
स्थान-रा.प्र.क.

हस्ताक्षर
नाम- रेणु सिंह
सरकारी मोहल मुख्य वन संरक्षक
बखमऊ मण्डल उ०प्र० लखनऊ